शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र / राशिके / शिप्रशि(पार्टनरशिप) / 2020 / 2105 भोपाल दिनांक 26 / 05 / 2020

प्रति

संस्था प्रमुख
अनुबंधित अशासकीय संस्थायें(राज्य शिक्षा केन्द्र से अनुबंधित)
म0प्र0

विषय—शिक्षकों हेतु ऑन लाईन प्रशिक्षण CM RISE तथा DigiLEP ऑन लाईन एप के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोविड—19 को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 द्वारा छात्र छात्राओं हेतु TV, Mobile, Radio जैसे माध्यमों से अध्यापन कार्य तथा शिक्षकों को ऑन लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये गये है। उक्त कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता संबंधी पृच्छाएं हेतु सथिति इस प्रकार है:

1— DigiLEP कार्यक्रम अंतर्गत कंटेंट के विश्लेषण उपरांत राज्य स्तरीय क्वालिटी समिति के अनुमोदन उपरांत ऑन लाईन कंटेंट जिले में भेजा जाता है जिसे एपीसी अकादमिक गठित वाट्सअप ग्रुप के द्वारा जनशिक्षकों के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को भेजते है। कंटेंट का अध्ययन बच्चे विभिन्न प्रकार से ऑन लाईन सोर्सेस (TV+ Radio) के माध्यम से करते हैं। इसमें संबंधित शालाओं के शिक्षक आवश्यक सहयोग प्रदान करते है।

2— CM RISE कार्यक्रम शिक्षकों का आम्न लाईन प्रशिक्षण है प्रशिक्षण सामग्री दीक्षा पोर्टल के माध्यम से अपलोड की जाती है। DIKSHA Portal पर Upload किए जा रहे Module पाठ्यक्रम कक्ष के विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण उपरांत साथ टीम एवं क्वालिटी समिति द्वारा अनुमोदन के उपरांत समन्वय संस्था पीपल के सहयोग से अपलोड किया जाता है।

दीक्षा पोर्टल पर CM RISE ऑन लाईन ट्रेनिंग के संबंध में जो भी कंटेंट हमारे पार्टनर्स भेजना चाहें वे पाठ्यक्रम कक्ष को पीडीएफ कापी में भेजें । यदि कंटेंट उपयोगी होगा तो सीएम राईज में अपलोड किया जायेगा यदि आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होगी तो सूचित किया जायेगा तथा फाईनल कंटेंट संस्था के नाम के साथ अपलोड किया जायेगी। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित संस्था द्वारा प्रेषित कंटेंट अपलोड ही किया जाये।

3— पार्टनर्स द्वारा पाठ्यक्रम कक्ष को प्रेषित की गई अकादमिक सामग्री यदि उपयोगी लगती है तो उसे सहायक सामग्री के रूप में दीक्षा पोर्टल या अन्य माध्यम से प्रेषित की जायेगी जिसमें संबंधित संस्था का नाम उल्लेखित किया जायेगा तथा संस्था लेख करेगी कि यह कंटेंट हमारे द्वारा तैयार किया गया है इस पर किसी अन्य का कापी राईट नहीं है, यदि संस्था किसी अन्य संस्था का मटेरियल भेजती है तो उसके कापी राईट की अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। यह आवश्यक नहीं कि संस्था जो भी कंटेंट भेजेंगी उसे राज्य शिक्षा केन्द्र अनिवार्यतः आनलाईन अपलोड करे।

4— यदि संस्था अकादमिक बिन्दुओं के अतिरिक्त इन्फास्ट्रक्चर ,सेफ्टी सिक्यूटी लाईफ स्किल ,आउट आफ स्कूल आदि अन्य बिन्दुओं पर कार्य कर रही है तथा अपने अनुबंधित स्थानों के अतिरिक्त सहयोग प्रदान करना चाहती है तो राज्य शिक्षा केन्द्र के संबंधित कक्षों को अपना प्रस्ताव प्रेषित करें जिससे उसका

परीक्षण उपरांत आवश्यकतानुसार उपयोग किया जायेगा। प्रत्येक संस्था एक प्रति पीडीएफ कापी में संबंधित कक्ष के नियंत्रक तथा तथा रिकार्ड हेतु पार्टनरशिप कक्ष के मेल पर अवश्य प्रेषित करें, जिससे समन्वय कर आपके द्वारा प्रेषित सामग्री का यथोचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

5–अनुंबंधित संस्थायें कृप्या निम्न जानकारी curriculam.rsk@gmail.com एवं partnership.rsk2017@gmail.com पर अवश्य साझा करें।

1–कोविड–19 के दौरान अपने स्तर पर अनुंबंध अनुसार किये गये कार्यो का विवरण।

2–कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुये आगामी कार्यक्रम हेतु तैयार किये गये ऑन लाइन कंटेंट एवं अन्य विवरण पीडीएफ कापी में

3–अन्य विवरण संस्था जो देना चाहें ।

उपरोक्तानुसार तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । सहयोग के लिए धन्यवाद।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ0क्र / राशिके / शिप्रशि(पार्टनरशिप) / 2020 / 2106 **भोपाल दिनांक 26 / 05 / 2020**

प्रतिलिपि–

1–प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2–साथ टीम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3–डॉ0अशोक पारीक नियंत्रक पाठ्यक्रम की ओर लखे है कि पार्टनर्स से प्राप्त होने वाले कंटेंट का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4–नियंत्रक ,आईईडी,शिक्षक शिक्षा,सिविल वाश यूनिट,ई एण्ड आर, एवं अन्य समस्त कक्ष नियंत्रकों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र